जिला उद्योग केंद्र जमुई

"जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना" अंतर्गत जमुई जिला में स्टार्ट-अप नवाचार प्रस्ताव (Innovative Proposal) हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति।

कोविड-19 महामारी के कारण बड़ी सख्या में वापस लौटे, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रख कर, जिला प्रशासन द्वारा उद्यमियों/नवाचारो से नवप्रवर्तन (Innovative) / स्टार्ट-अप प्रस्ताव आमंत्रित करती है नवप्रवर्तन / स्टार्ट-अप प्रस्ताव में स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के अन्यतम (Optimum) उपयोग एवं प्रवासी मजदूरों को उनके कार्यकुशलता एवं क्षमता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने पर प्राथमिकता होनी चाहिए । प्रस्ताव प्राप्ति के बाद जिला प्रशासन उपयुक्त परियोजना प्रस्ताव को क्लस्टर उद्योग (सुक्ष्म इकाई) में स्थापित करने में संसाधन एवं वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी ।

- पात्रता :- उद्यमियों/नवाचारो द्वारा कृषि क्षेत्र में खाद्य प्रषंसकरण इकाई, विनिर्माण इकाई एवं अन्य औधोगिक/व्यावसायिक इकाईयों की स्थापना आदि क्षेत्रों से सम्न्धित नवाचार (स्टार्ट-अप) के साथ परियोजना प्रस्ताव दे सकते है ।
- आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्य :- आवेदक का पूर्ण पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव एवं विशेषज्ञता आदि का संक्षिप्त विवरण (साक्ष्य सहित)
- आवेदन की प्रक्रिया :- आवेदन बंद लिफाफा में दिनांक 27/08/20 तक जिला उद्योग कैंद्र, जमुई में हाथो हाथ, डाक या मेल (gmdicjamui1234@gmail.com)के माध्यम से जमा किया जा सकता है विस्तृत जानकारी NIC के साइट https://jamui.nic.in--पर भी देखा जा सकता है ।
- प्राप्त प्रस्ताव पर दिनांक 28/08/20 को प्रतुतिकरण देखा जायेगा ।

जिलाधिकारी, जमुई
07/08/20